NO OBJECTION CERTIFICATE

संख्या-2504/[illegible]

प्रेषक,

[illegible],
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

[illegible]
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2-19 अन्सारी विहार,
नई दिल्ली।

शिक्षा 1131 अनुदान लखनऊ: दिनांक 9 अगस्त, 1992.

विषय :- लायन्स बाल विद्या मंदिर, पीलीभीत को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लायन्स बाल विद्या मंदिर पीलीभीत को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पैतृक संस्था द्वारा भूमि का क्रय नाम पर पंजीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा मनोनीत सदस्य रहेंगे।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रखे और उनके शुल्क प्रतिपूर्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि भविष्य में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/उत्तरांचल सरकार के इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, नई दिल्ली से प्राप्त होने की स्थिति में परिषद से सम्बद्धता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुरूप वेतनमानों तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में अन्य भत्ते

.....2

V. K. Mittal
Principal
Lions Vidya Mandir
Senior Secondary School
PILIBHIT